प्रेषक, **महत्वपूर्ण / विशेष ध्यानाकर्षण**

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक / प्रधानाचार्य,
परिषद से सम्बद्ध समस्त,
राजकीय / अनुदानित एवं,
निजी क्षेत्र की समस्त संस्थाएं।

पत्रांक–प्राशिप / परिषद / 2022–23 / 224 **लखनऊ:दिनांक– 18/04/2022**

विशयः वित्तीय वर्ष 2022–23 से दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र / छात्राओं के बायोमेट्रिक अटेण्डेंस प्रकिया लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या सी0–51 / स0क0 / शिक्षा–अ0 / 3 / 403 / 2022–23, दिनांक 07 अप्रैल, 2022 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र / छात्राओं के बायोमेट्रिक अटेण्डेंस प्रकिया लागू किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के कम में अवगत कराना है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (दशम संशोधन) नियमावली–2021 दिनांक 21–09–2021 को प्रख्यापित की गयी है। नियमावली के नियम–6 में प्राविधान है कि–

"शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थिति वाले छात्र / छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। उक्त उपस्थिति आधार बेस उपस्थिति प्रणाली (भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर) को स्थापित करके प्रत्येक माह उपस्थिति प्रमाणिक करने एवं यथास्थान छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 से कम है तो ऐसे छात्र छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होंगे तथा छात्र को यदि भुगतान हो गया है तो भुगतान धनराशि छात्र अथवा संस्था को वापस करनी होगी।"

यह भी अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 से नियमावली की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रदेश में संचालित एवं छात्रवृत्ति हेतु मास्टर डाटा में सम्मिलित समस्त राजकीय / अनुदानित व मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेशित एवं अध्ययनरत तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों का आधार बेस उपस्थित प्रणाली (बायोमैट्रिक अटेण्डेंस) की व्यवस्था करायी जानी है। इस हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्था में छात्रों के बायोमैट्रिक अटेण्डेंस हेतु उपकरण लगाया जाना है। प्रत्येक संस्थान स्तर पर छात्रों के पाठ्यकमवार अटेण्डेंस को राज्य स्तर पर एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ व श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ के स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

अतः उपरोक्त के अनुकम में आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के कम में अपने शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं के बायोमैट्रिक अटेण्डेंस हेतु आवश्यक उपरकण 15 दिन के अन्दर लगवाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव

E:\scholership 18-4-22.docx

पृ0सं0–प्राशिप/परिषद/2022–23/225-29 लखनऊ:दिनांक– 18/04/2022

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को विशेष सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
3. निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश को उनके पत्र संख्या सी0–51/स0क0/शिक्षा–अ0/3/403/2022–23, दिनांक 07 अप्रैल, 2022 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
5. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा पूर्वी क्षेत्र/बुन्देलखण्ड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की अपने क्षेत्रान्तर्गत राजकीय/अनुदानित व निजी क्षेत्र की संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव